

Allotment of land for public use
तहसीलदार द्वारा प्रेषित किये जाने वाली सूचनायें

1.	विभाग का नाम	
2.	आवंटन का प्रयोजन (शाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें)	
3.	क्या इसी प्रयोजन विशेष के लिये पूर्व में आवंटन हुआ है , यदि हाँ तो इसका विवरण .	
4.	क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है .	
5.	प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था है	
6.	1983 के नियम 2 के तहत निर्धारित मानदण्ड	
7.	यदि विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निश्चित किये गये हैं तो उसका विवरण	
8.	मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्र का औचित्य	
9.	आवंटन द्वारा चाही गई भूमि का विवरण:- प्रस्तावित भूमि क्षेत्र की है अथवा नहीं (पटवारी की मौका रिपोर्ट जमा बंदी की प्रति व नक्शा संलग्न है)	जी हाँ /नहीं
10.	यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो :- (अ) पशु संख्या (ब) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि (स) पशुओं के अनुपालन में चारागाह भूमि पर्याप्त है (द) यदि नहीं तो चारागाह की वैकल्पिक व्यवस्था	
11.	भूमि नगरपालिका में स्थित है /ग्राम पंचायत में (नाम लिखें)	
12.	स्थानीय निकाय की निरापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें	
13.	यदि निर्माण पूर्व में हो चुका है तो अंकित करें	
14.	आवंटन किया जाना उचित है/उचित नहीं है	

हस्ताक्षर तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित भूमि का आवंटन किया जाना उचित
है/नहीं है.